15

न्यायालय श्री मान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, Rs 301-

जिला - रीवा म0प्र0

नि/निग0/रीवा/2017/4823

छोटेलाल पिता राममनोहर पटेल आयु 60 वर्ष, नि0 ग्राम रीठी, तह0 गुढ़, थाना रायपुर कर्चु0 जिला -रीवा म0प्र0 --- निगरानीकर्ता

बनाम

रामसजीवन पिता राममनोहर पटेल आयु 62 साल, नि0 ग्राम रीठी, तहसील गुढ़, थाना रायपुर कर्चु0 जिला -रीवा म0प्र0 --- --- गैर निगरानीकर्ता

अधि० श्रीमती नीलम सिंह
द्वारा पेश / 4-12-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान तहसीलदार महोदय, तह0 गुढ़, के प्र0 क्र0 6/अ-6/3 वर्ष 2016-17 मे पारित आदेश दिनाक 1-5-17 एवं नक्सा तरमीम आर.आई. द्वारा दिनाक 9-6-17 भूमि क्र0 179/2 व 179/1,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0।

मान्यवर,

सक्षिप्त विवरण

(अ) यहकि ग्राम रीठी तह0 गुढ़, जिला - रीवा मे स्थित आराजी न. 179 का कुल रकवा 0.242 हे0 है उक्त भूमि पैत्रिक है निगरानी कर्ता व गैर निगरानी कर्ता आपस मे सगे भाई है, पिता ने अपने जीवनकाल मे उक्त जमीन का बटवारा दोनो भाइयो के बीच कर दिया था जिसमे रोड तरफ, निगरानी कर्ता को भूमि हिस्सा बाट मे मिली, जिसमे करीब 40 साल पूर्व से निगरानीकर्ता का मकान बना है व उसके हिस्से मे बाडी व पेड़ पौधे लगे है उसी मे पूरा परिवार रहता है।

छोटेलाल

नीलम सिंह एड०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 4823

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/6/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 6 अ–5 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 1–5–2017 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 6 अ–5 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 1–5–2017 से ग्राम रीठी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 179 का नक्शा तरमीम किया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ नक्शा तरमीम कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी को दी गई शक्तियों के अधीन की जाती है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत पारित आदेश राजस्व मण्डल में निगरानी योग्य न होकर प्रथम अपील उप खण्ड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को होगी। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी	

प्र0क0 दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4823

कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। विचाराधीन निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य